रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 403] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 7, 1987/श्रावण 16, 1909

No. 403] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 7, 1987/SRAVANA 16, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

विदेश मंत्रालय

(विधि एवं संधि प्रभाग)

नई दिल्ली, 7 मई, 1987

आदेश

सा.का.नि. 689(अ) :—जबकि भारत की सरकार और कनाडा की सरकार के बीच प्रत्यर्पण संधि में नीचे लिखे अनुसार व्यवस्था है।

अनुच्छेद 1 : प्रत्यर्पित करने के दायित्व

1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस संधि की शर्तों के अन्तर्गत किसी ऐसे व्यक्ति को दूसरे के देश में प्रत्यर्पित करने के लिये सहमत होते हैं जो अनुच्छेद 3 में यथावर्णित प्रत्यर्पण अपराध का, जो एक देश के क्षेत्र के अन्दर किया गया हो, दोषी या सिद्ध दोषी होने के कारण दूसरे देश के क्षेत्र में पाया जाता है चाहे यह, अपराध इस संधि के लागू होने से पहले अथवा इसके बाद किया गया हो।

2. जहां तक इस संधि का प्रयोजन है, किसी संविदाकारी राज्य के प्रदेश में उसके अधिकार क्षेत्र में आने वाली सारी जमीन, वायुक्षेत्र और जल क्षेत्र शामिल होगा।

3. किसी ऐसे व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिये कोई दायित्व नहीं होगा जहां प्रत्यर्पण के लिये अनुरोध उनकी जाति, धर्म, रंग अथवा जातीय मूल के कारण उस व्यक्ति के प्रति भेदभाव करने के उद्देश्य से किया गया हो।

4. यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिये 6 महीने या उससे कम की सजा दी गई हो या उसकी बाकी सजा 6 महीने या उससे कुछ कम अवधि की रह गई हो तो उसे प्रत्यर्पित करने का दायित्व नहीं होगा।

अनुच्छेद 2 : अपरदेशीय अपराध

अनुच्छेद 3 में यथावर्णित किसी ऐसे प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में भी प्रत्यर्पण की अनुमति दी जायेगी जो अनुरोधकर्ता राज्य के अनुसार उसके क्षेत्र के बाहर परन्तु उसके अधिकार क्षेत्र के भीतर आता हो और उन परिस्थितियों में प्रार्थित राज्य का ऐसे अपराध पर क्षेत्राधिकार बनता हो।

अनुच्छेद 3 : प्रत्यर्पण अपराध

1. प्रत्यर्पण अपराध तभी माना जाता है जब किसी व्यक्ति के आचरण के जिसका प्रत्यर्पण मांगा गया है, एक ऐसा अपराध बनता है जिसके लिये दोनों संविदाकारी राज्यों के कानूनों द्वारा एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिये कारावास की सजा दी जा सकती हो।

2. जब किसी प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में प्रत्यर्पण का आदेश दिया जाए तो यह आदेश उस अपराध के संबंध में भी दिया जाना चाहिए जो प्रत्यर्पण अपराध करने से संबद्ध हो और यदि प्रत्यर्पण के अनुरोध में इसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया हो तथा ऊपर पैरा 1 में उल्लिखित कारावास की अवधि को छोड़कर प्रत्यर्पण संबंधी सभी अपेक्षाएं पूरी करता हो।

3. किसी प्रत्यर्पण अपराध के लिये प्रत्यर्पण का आदेश दिया जायेगा इस बात का ख्याल न करते हुए कि वह अपराध कर निर्धारण या राजस्व से ताल्लुक रखता है या पूरी तरह वित्तीय स्वरूप का है।

अनुच्छेद 4 : प्रत्यर्पण और अभियोग

1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर सकता है यदि उस व्यक्ति पर जिसके प्रत्यर्पण की मांग की गई है, इसके अपने न्यायालयों में से किसी एक में प्रत्यर्पण अपराध के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है।

2. यह निर्णय करने में कि पैरा 1 में निर्धारित कारणों से प्रत्यर्पण अनुरोध को अस्वीकार किया जाये या न किया जाये, प्रार्थित राज्य इस बात को ध्यान में रखेगा कि संविदाकारी राज्यों में से किस पर इसके प्रभावों या परिणामों का अधिक गंभीर या तात्कालिक प्रभाव पड़ा है या पड़ेगा।

3. यदि प्रार्थित राज्य पैराग्राफ 1 में निर्धारित कारणों से प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार कर देता है तो वह इस मामले को अपने सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा ताकि अभियोग चलाने पर विचार किया जा सके। ऐसे मामले में अनुरोधकर्ता राज्य अनुरोध करने पर वह सभी उपलब्ध सहायता प्रदान करेगा जो उस अभियोग के सिलसिले में ऐसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा मांगी जाये।

4. जहां इस संधि के अन्तर्गत प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई हो वहां अनुरोधकर्ता राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्यर्पित व्यक्ति पर प्रत्यर्पण के 6 महीने के अन्दर मुकदमा चला दिया जाये।

5. अगर मुकदमा छह महीने के अन्दर शुरू नहीं किया जाये तो अनुरोधकर्ता राज्य प्रत्यर्पित व्यक्ति को मुकदमे का फैसला होने तक अपनी उपयुक्त न्यायालयों के समक्ष उसकी जमानत पर विचार किये जाने के लिये और उन आरोपों के लिये, जिसके लिये प्रत्यर्पण की अनुमति दी गई थी, मुकदमें की तारीख निर्धारित करने के लिये लायेंगे।

अनुच्छेद 5 : प्रत्यर्पण के अपराध

1. प्रत्यर्पण अस्वीकार किया जा सकता है यदि:

(क) वह अपराध जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है, प्रार्थित राज्य द्वारा राजनीतिक अपराध या राजनीति स्वरूप का अपराध समझा गया हो;

(ख) प्रार्थित राज्य को ऐसा प्रतीत हो कि अनुरोध साफ नियत से और न्याय के हित में नहीं किया गया है या राजनीतिक कारणों से किया गया है या सभी परिस्थितियों का, जिसमें तुच्छ स्वरूप का दोष शामिल है, सम्मान करते हुए ऐसा करना अन्यथा न्यायोचित नहीं होगा।

2. प्रत्यर्पण को अस्वीकार किया जायेगा यदि

(क) अपराध, जिसके संबंध में अनुरोध किया गया है, प्रार्थित राज्य द्वारा पूर्णतः सैनिक अपराध माना जाये।

(ख) संबद्ध व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई चल रही हो अथवा उस पर मुकदमा चला कर प्रार्थित राज्य द्वारा अथवा तीसरे राज्य द्वारा उस अपराध के लिये जिसके संबंध में प्रत्यर्पण के लिये अनुरोध किया गया है, उसे निर्दोष करार दे दिया गया हो या छोड़ दिया गया हो अथवा उसे दोषी ठहरा कर सजा दी गई हो।

3. इस संधि के प्रयोजन से ऐसे आचरण को, जिसमें प्रार्थित राज्य के कानून के अनुसार निम्नलिखित अपराध शामिल है, राजनीतिक अपराध या राजनीतिक स्वरूप के अपराध नहीं माना जायेगा।

(क) विमान पर गैर कानूनी कब्जा करने को रोकने से संबद्ध अभिसमय की परिधि में, जिस पर 16 दिसम्बर, 1970 को द हेग में हस्ताक्षर हुए थे, आने वाला कोई भी अपराध ;

(ख) सिविल विमानन की सुरक्षा के विरुद्ध गैर कानूनी कार्रवाइयों को रोकने से संबद्ध अभिसमय के परिधि में, जिस पर 23 सितम्बर, 1971 को मांट्रियाल में हस्ताक्षर हुए थे, आने वाला कोई भी अपराध ;

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय रूप से परिरक्षित स्तर के सुरक्षाधीन व्यक्तियों के विरुद्ध जिनमें राजनीतिक अभिकर्ता भी शामिल हैं, के अपराध को रोकने और दण्ड देने से संबद्ध अभिसमय की परिधि में, जिस पर 14 दिसम्बर, 1973 को न्यूयार्क में हस्ताक्षर किये गये थे, आने वाला कोई भी अपराध ;

(घ) किसी भी ऐसे अभिसमय की परिधि में आने वाला कोई भी अपराध जिसके दोनों संविदाकारी राज्य पक्षकार हों और जिसके अन्तर्गत ये पक्ष अभियोग चलाने अथवा प्रत्यर्पण करने के दायित्व से संबंधित हों ;

(ङ) आतंकवाद से संबंधित कोई अपराध

(च) हत्या, नरवध, शारीरिक चोट पहुंचाने वाला हमला, अपहरण बंदीकरण, बंधक करना, सम्पत्ति को गंभीर क्षति पहुंचाने वाले अथवा सार्वजनिक सुविधाओं को अस्त-व्यस्त करने वाले तथा ऐसे अपराध जिनका ताल्लुक आग्नेयास्त्रों हथियारों, विस्फोटकों अथवा घातक पदार्थों से हो ;

(छ) ऊपर के (क) से (च) तक के उप-पैराओं में बताए गए किसी अपराध को किये जाने का प्रयास अथवा षडयंत्र ऐसे किसी अपराध को करने की सलाह देना अथवा यथा वर्णित अपराधों में सह-अपराधी के रूप में भागीदार होने से सम्बद्ध कोई अपराध।

अनुच्छेद 6 : मृत्युदण्ड

अगर किसी ऐसे अपराध के लिये प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया हो जिसके लिये अनुरोधकर्ता राज्य के कानून में मौत की सजा निर्धारित हो और प्रार्थी राज्य के कानून में इस अपराध की कार्रवाई के लिये इस तरह के दण्ड का प्रावधान न हो तो प्रत्यर्पण के अनुरोध को अस्वीकार किया जा सकता है जब तक कि अनुरोधकर्ता राज्य ऐसा आश्वासन न दे जिसे प्रार्थित राज्य इस ओर से पर्याप्त माने कि अगर मौत की सजा दी भी गई हो तो उस पर अमल नहीं किया जायेगा।

अनुच्छेद 7 : अभ्यर्पण का स्थगन

जब वांछित व्यक्ति के विरुद्ध प्रार्थित राज्य में किसी ऐसे अपराध पर, जो कि प्रत्यर्पण में आवेदन किये गये अपराध से भिन्न हो, मुकदमा चल रहा हो अथवा वह सजा काट रहा हो तो प्रार्थित राज्य वांछित व्यक्ति को अभ्यर्पित कर सकता है अथवा उसके अभ्यर्पण को स्थगित कर सकता है जब तक कि उसके मुकदमे की सुनवाई और उसे दी गई सजा पूरी न हो गई हो।

अनुच्छेद 8 : प्रत्यर्पण की प्रक्रिया

1. प्रत्यर्पण के लिये अनुरोध राजनयिक माध्यमों से किया जायेगा और इसके समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरी की जायेंगी :

(क) वांछित व्यक्ति की पहचान विवरण और स्थान के सम्बन्ध में सूचना दी जायेगी ;

(ख) मुकदमे के तथ्यों का एक विवरण दिया जाएगा; और

(ग) अनुरोधकर्त्ता राज्य के कानूनों का एक विवरण दिया जाएगा जिसमें उसके अपराध और दण्ड का उल्लेख हो।

2. जब प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए है जो प्रत्यर्पण के अपराध का दोषी है तो उसके समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज दिए जाएंगे;

(क) गिरफ्तारी के वारंट की एक प्रति; और

(ख) ऐसा साक्ष्य जो प्रार्थित राज्य के कानून के अनुसार उसकी गिरफ्तारी को न्यायोचित ठहराए और अगर अपराध उसके कार्य-क्षेत्र में किया गया है तो उस पर मुकदमा चलाए जाने को भी, जिसमें ऐसा साक्ष्य भी हो जिससे यह पता चले कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जिसका गिरफ्तारी के वारंट में उल्लेख किया गया है।

3. जब प्रत्यर्पण का अनुरोध किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में किया गया हो जिसे प्रत्यर्पण संबंधी किसी अपराध के लिए सजा दी गई हो तो उसके समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरी की जाएंगी :

(क) दोष-सिद्धि प्रमाण-पत्र की एक प्रति अथवा निर्णय की अथवा सिद्ध-दोष आदेश की एक प्रति; और

(ख) इस बात का साक्ष्य कि वांछित व्यक्ति वही व्यक्ति है जो उल्लिखित सिद्ध-दोष है, और यदि ऐसे व्यक्ति को सजा दी गई तो इसके समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरी की जाएंगी ;

(ग) निर्णय अथवा दण्डादेश की एक प्रति; और

(घ) बकाया सजा की अवधि के हिस्से को दर्शाने वाला विवरण

अनुच्छेद 9 : प्रत्यर्पण का साक्ष्य

1. प्रत्यर्पण के किसी अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में अगर यह माना जाए कि वह अनुरोधकर्ता राज्य के किसी विभाग, मंत्रालय अथवा मंत्री की सील अथवा मोहर में जारी किया गया है तो उस सील या मोहर के आधिकारिक स्वरूप के प्रमाण के बिना ही उसे प्रार्थित राज्य में प्रत्यर्पण संबंधी कार्रवाई में शामिल कर लिया जाएगा।

2. उपर्युक्त पैराग्राफ 1 में जिस साक्ष्य का उल्लेख किया गया है उसमें बयान, अभिसाक्ष्य अथवा ऐसे अन्य साक्ष्य अपने मूल रूप में अथवा उनकी प्रतियां स्वीकार की जा सकती हैं जिनके बारे में यह समझा जाए कि वे शपथ या घोषणापूर्वक लिए गए हों चाहे वे प्रत्यर्पण के अनुरोध के समर्थन के उद्देश्य से लिए गए हों या किसी अन्य उद्देश्य से।

3. पैराग्राफ 2 में वर्णित साक्ष्य प्रार्थित राज्य की प्रत्यर्पण कार्रवाईयों में स्वीकार्य होगा चाहे वह अनुरोधकर्ता राज्य अथवा किसी तीसरे राज्य में सशपथ अथवा घोषणापूर्वक लिया गया हो।

अनुच्छेद 10 : अतिरिक्त साक्ष्य

1. यदि प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के लिए आवेदन के समर्थन में दिए गए साक्ष्य को अपर्याप्त समझे तो प्रार्थित राज्य अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का अनुरोध कर सकता है और उस साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के लिए समय-सीमा निश्चित कर सकता है किन्तु अनुरोधकर्ता राज्य के अनुरोध पर निश्चित समय-सीमा में यथोचित वृद्धि की अनुमति दे सकता है।

2. यदि अतिरिक्त साक्ष्य को अपर्याप्त समझा गया अथवा ये प्रार्थित राज्य द्वारा विनिर्दिष्ट समय-सीमा के अन्दर प्राप्त न हो तो वांछित व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है अथवा उसे मुक्त किया जा सकता है।

3. पैराग्राफ 2 के बावजूद अनुरोधकर्ता राज्य द्वारा, प्रत्यर्पण के लिए किए गये नए सिरे से किए गए किसी अनुरोध के आधार पर और पहले से प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर और किसी अन्य साक्ष्य के आधार पर प्रत्यर्पण कार्रवाई को उसी अपराध अथवा अन्य प्रत्यर्पण अपराध के संबंध में पुनः शुरू किया जा सकता है।

अनुच्छेद 11 : अस्थाई गिरफ्तारी

1. तात्कालिकता के मामले में कोई भी संविदाकारी राज्य वांछित व्यक्ति की अस्थाई गिरफ्तारी का अनुरोध कर सकता है।

2. अस्थाई गिरफ्तारी के लिए अनुरोध राजनयिक माध्यमों से, कनाडा के न्यायविभाग और भारत के गृह मंत्रालय के बीच सीधे, अन्तर्राष्ट्रीय अपराध पुलिस संगठन (इंटरपोल) के जरिये अथवा प्रार्थित राज्य को स्वीकार्य किसी भी अन्य माध्यमों द्वारा किया जा सकता है।

3. अस्थाई गिरफ्तारी हेतु अनुरोध के समर्थन में निम्नलिखित बातें पूरी करनी होंगी :

(क) वांछित व्यक्ति की पहचान, विवरण और उसके पते के बारे में सूचना;

(ख) मामले के तथ्यों का संक्षिप्त विवरण;

(ग) यह संकेत कि अनुरोधकर्ता राज्य उस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध करेगा;

(घ) वांछित व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट अथवा दोष-सिद्धि आदेश से सम्बद्ध एक विवरण पत्र;

(ङ) अगर प्रत्यर्पण का अपराध प्रार्थित राज्य के अधिकार क्षेत्र के भीतर किया गया है या वांछित व्यक्ति को वहीं सजा दी गई है तो गिरफ्तारी का वारंट जारी करने को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई और सूचना हो तो वह भी दी जाए।

4. अस्थाई गिरफ्तारी के लिए अनुरोध प्राप्त हो जाने पर, प्रार्थित राज्य वांछित व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उचित कदम उठाएगा और अपने प्रयासों के परिणामों की सूचना अनुरोधकर्ता राज्य को शीघ्र देगा।

5. अगर प्रार्थित राज्य को 30 दिन के भीतर-भीतर प्रत्यर्पण के लिए अनुरोध प्राप्त न हो और वांछित व्यक्ति की अस्थाई गिरफ्तारी के 90 दिन के भीतर समर्थनकारी दस्तावेज और साक्ष्य प्राप्त न हों तो वांछित व्यक्ति को छोड़ दिया जाएगा और मुक्त कर दिया जाएगा।

6. पैराग्राफ 5 के बावजूद, वांछित व्यक्ति को उसी प्रत्यर्पण अपराध के लिए अथवा किसी अन्य अपराध के लिए पुनः गिरफ्तार किया जा सकता है यदि प्रार्थित राज्य को प्रत्यर्पण के लिए बाद में अनुरोध प्राप्त हो तो।

अनुच्छेद 12 : अभ्यर्पण

1. प्रार्थित राज्य प्रत्यर्पण के संबंध में अपने निर्णय की सूचना यथाशीघ्र अनुरोधकर्ता राज्य को देगा।

2. यदि प्रत्यर्पण की मंजूरी दे दी जाती है तो प्रार्थित राज्य वांछित व्यक्ति को दोनों संविदाकारी राज्यों द्वारा तय समय और स्थान पर उन व्यक्तियों के हवाले करेगा जिन्हें उसे प्राप्त करने के लिए अनुरोध-कर्ता राज्य द्वारा प्राधिकृत किया गया हो।

3. अगर प्रत्यर्पण के संबंध में अन्तिम निर्णय हो जाने के बाद दो महीनों के भीतर वांछित व्यक्ति को प्रार्थित राज्य से नहीं ले जाया गया हो तो उसे हिरासत से रिहा कर दिया जाएगा तथा तत्पश्चात् प्रार्थित राज्य उसी अपराध के लिए उसे प्रत्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है।

अनुच्छेद 13 : सम्पत्ति अभ्यर्पण

1. वांछित व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद प्रार्थित राज्य अपनी कानून की सीमाओं में रहते हुए प्रत्यर्पण अपराध की कार्रवाई में प्रयुक्त अथवा प्राप्त किसी भी सम्पत्ति को अथवा उसकी बिक्री से प्राप्त धन को अथवा किसी ऐसी सम्पत्ति को अपने अधिकार में ले लेगा जिससे वह अपराध किए जाने का साक्ष्य मिलता हो।

2. यदि प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया जाता है, तो प्रार्थित राज्य वांछित व्यक्ति को सुपुर्द किए जाने पर, अपने कानूनों द्वारा अनुमत सीमाओं तक तथा अन्य पक्षों के अधिकारों से संबंधित किन्हीं शर्तों के अधीन रहते हुए अनुरोधकर्ता राज्य से किसी विशिष्ट अनुरोध के बिना ही निम्नलिखित पैराग्राफ 3 के उपबन्धों में अधीन सम्पत्ति तथा उससे प्राप्त धन राशि भी सुपुर्द कर देगा। अगर मृत्यु के कारण अथवा लापता हो जाने के कारण वांछित व्यक्ति को प्रत्यर्पित न भी किया जा सके तो ऐसी सम्पत्ति को अथवा उससे प्राप्त धन का अभ्यर्पित कर दिया जाएगा।

3. प्रार्थित राज्य किसी सम्पत्ति अथवा उससे प्राप्त धन राशि अभ्यर्पित करने से इन्कार कर सकता है जब तक अनुरोधकर्ता राज्य इस आशय का संतोषजनक आश्वासन नहीं देता कि वह आवश्यकता पड़ने पर प्रार्थित राज्य को इन्हें शीघ्र वापिस कर देगा तथा अन्य पक्षों से संबंधित सभी शर्तें पूरी की जाएंगी।

अनुच्छेद 14 : विशेष मामलों से सम्बद्ध नियम

1. इस संधि के अधीन प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को अनुरोधकर्ता राज्य को उसकी सुपुर्दगी से पूर्व किए गए उस अपराध से भिन्न जिसके लिए उसे प्रत्यर्पित किया गया था किसी अपराध के लिए उसे नजरबंद नहीं किया जाएगा, उस पर मुकदमा नहीं चलाया जाएगा अथवा उसे दंडित नहीं किया जाएगा जब तक:

(क) वह अनुरोधकर्ता राज्य से चला न गया हो तथा स्वेच्छा से उसमें वापस न लौट आया हो, अथवा

(ख) जब तक वह ऐसा करने के लिए रिहा किए जाने के बाद 60 दिन के भीतर अनुरोधकर्ता राज्य से चला न गया हो।

2. इस संधि के अधीन प्रत्यर्पित किसी व्यक्ति को, अनुरोधकर्ता राज्य उसके प्रत्यर्पण से पूर्व किये गये किए अपराध के लिए किसी तीसरे राज्य को प्रत्यर्पित नहीं करेगा जब तक, प्रार्थित राज्य अपनी सहमति न दे दे अथवा उपर्युक्त पैराग्राफ 1 के उपपैरा (क) अथवा (ख) की अपेक्षाएं पूरी न हों।

3. पैराग्राफ 1 और 2 ऐसे किसी अपराध पर लागू नहीं होंगे, जिन्हें किया जाना उक्त अपराध के अन्तर्गत आता है, जिसके लिए प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति की सुपुर्दगी की गई थी और जिसका सबूत उस साक्ष्य पर आधारित है जिसे प्रत्यर्पण के लिए किये गये अनुरोध के समर्थन में प्रस्तुत किया गया है।

अनुच्छेद 15 : प्रत्यर्पण में पारस्परिक कानूनी सहायता

प्रत्यर्पित राज्य के अनुरोध किये जाने पर अपने कानूनों द्वारा अनुमत सीमाओं के भीतर रहते हुए, अपने क्षेत्र के भीतर उस अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया था, से संबंधित साक्ष्य एकत्र करने के लिए सहमत होता है।

अनुच्छेद 16 : प्रत्यर्पण अधित्याग

1. जिस व्यक्ति के प्रत्यर्पण का अनुरोध किया गया है और जिसे इस संधि के अन्तर्गत गिरफ्तार किया गया हो, अनुरोधकर्ता राज्य में वापस जाने के लिए लिखित रूप से कह सकता है और यह भी कि औपचारिक प्रत्यर्पण के बिना उसकी वापसी तक उसे हिरासत में रखा जा सकता है। ऐसी सहमति के बाद अनुरोधकर्ता राज्य अविलम्ब ऐसे सभी कदम उठाएगा जो वांछित व्यक्ति को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों।

2 पैराग्राफ 1 में उल्लिखित सहमति तब तक दी गई नहीं मानी जाएगी जब तक प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को किसी न्यायाधीश अथवा सक्षम मजिस्ट्रेट द्वारा व्यक्तिगत रूप से इस संधि के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों तथा संरक्षणों की सूचना उसे नहीं दी गई हो, और यह कि ऐसी सहमति से उन अधिकारों और संरक्षणों का जिनमें अनुच्छेद 14 के अधीन प्रदत्त संरक्षण भी शामिल है, अधित्याग हो जाता है।

अनुच्छेद 17 : द्वंद्वात्मक अनुरोध

एक ही अपराध के लिए अथवा अलग-अलग अपराधों के लिए यदि एक ही व्यक्ति के प्रत्यर्पण का संविदाकारी राज्य द्वारा और किसी ऐसे तीसरे राज्य द्वारा, जिसकी प्रार्थित राज्य के साथ प्रत्यर्पण संबंधी व्यवस्था हो, अनुरोध किया गया हो, तो प्रार्थित राज्य यह निश्चय करेगा कि उक्त व्यक्ति किस राज्य को प्रत्यर्पित किया जाए और वह संविदाकारी राज्य को वरीयता देने के लिए बाध्य नहीं होगा।

अनुच्छेद 18 : दस्तावेजों का अनुवाद

प्रत्यर्पण हेतु अनुरोध तथा उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्य का अनुवाद प्रार्थित राज्य में किसी एक राजभाषा में दिया जाएगा और अनुवाद के मामले में इस प्रकार के अनुवाद की प्रामाणिकता अनुवादक के साक्ष्य से साक्ष्यांकित की जाएगी। अनुवादक का साक्ष्य भी प्रार्थित राज्य की किसी एक राजभाषा में होगा और वह इस संधि के अनुच्छेद 9 के अनुरूप होगा।

अनुच्छेद 19 : व्यय

1. प्रत्यर्पण के अनुरोध के सिलसिले में की जाने वाली किसी भी विधिक कार्यवाही में, प्रार्थित राज्य अनुरोधकर्ता राज्य के प्रतिनिधित्व के लिए अपने विधि अधिकारियों के माध्यम से अथवा अन्यथा सभी आवश्यक प्रबन्ध करेगा और इसके लिए खर्च वहन करेगा।

2. अनुरोधकर्ता राज्य इस संधि के अनुपालन में अथवा अन्यथा वापस भेजे गये किसी व्यक्ति को लाने का व्यय वहन करेगा जिसमें प्रार्थित राज्य के भीतर हो उसे आन्तरिक रूप से लाने-ले जाने तथा कोई अन्य मार्गस्थ व्यय भी शामिल होंगे।

3. इस संधि के अनुपालन में प्रत्यर्पण के संबंध में प्रार्थित राज्य में होने वाले भी अन्य व्यय का वहन, जब तक इस संबंध में अन्यथा सहमति न हो, प्रार्थित राज्य द्वारा किया जाएगा।

4. इस संधि के उपबन्धों के अनुपालन में प्रार्थित राज्य किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी, नजरबन्दी, पूछताछ और उसके अभ्यर्पण के परिणामतः उत्पन्न कोई आर्थिक दावा अनुरोधकर्ता राज्य के समक्ष पेश नहीं करेगा।

अनुच्छेद 20 : लागू होने वाला कानून

जब तक कि इस संधि में कोई अन्य प्रावधान न हो तब तक गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण के संबंध में होने वाली प्रक्रियाएं प्रार्थित राज्य के कानून के अनुरूप होंगी।

अनुच्छेद 21 : अनुसमर्थन

1. यह संधि अनुसमर्थन के अधीन होगी और अनुसमर्थन दस्तावेज का यथाशीघ्र नई दिल्ली में आदान-प्रदान किया जाएगा यह अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान हो जाने पर लागू हो जाएगी।

2. दोनों में से कोई भी संविदाकारी राज्य राजनयिक सूत्रों के माध्यम से छह महीने का नोटिस देकर इस संधि को समाप्त कर सकता है। इस नोटिस की अवधि समाप्त हो जाने के बाद, यह संधि लागू नहीं रहेगी अथवा प्रभावहीन हो जाएगी।

जिसके साक्ष्य में, अधोहस्ताक्षरियों ने, जिन्हें उनकी संबंधित सरकारों द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है, इस संधि पर हस्ताक्षर किये हैं।

नई दिल्ली में आज एक हजार नौ सौ सतासी के फरवरी मास के छठे दिन हिन्दी, अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषाओं के दो-दो पाठों में सम्पन्न किया गया। प्रत्येक भाषा का पाठ समान रूप से प्रमाणिक है।"

अत: अब प्रत्यर्पण अधिनियम, 1962 (1962 का 34) के खण्ड 3 के उप-खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इसके द्वारा, निर्देश देती है कि उक्त अधिनियम के अध्याय तीन से इतर प्रावधान कनाडा पर इस अधिसूचना की तारीख से लागू होंगे।

सा. का. नि. 463 (अ) के साथ जो अधिसूचना क्रम सं 237 के अन्तर्गत 8-5-1987 को जारी की गई थी वह तकनीकी कारणों से रद्द की जाती हैं।

[सं एल /413/2/87]
एस. एन. सिन्हा, अवर सचिव

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

(Legal & Treaties Division)

New Delhi, the 7th May, 1987

ORDER

G.S.R. 689 (E).—Whereas the Extradition Treaty between the Government of India and the Government of Canada provides as follows :—

EXTRADITION TREATY BETWEEN INDIA AND CANADA

The Government of India and the Government of Canada, desiring to make more effective the cooperation of the two countries in the supprestion of crime by making provision for the reciprocal extradision of offenders, and recognizing that concrete steps are necessary to combat terrorism agree as follows :

Article 1. Duty to Extradite

1. Each contracting State agree to extradite to the other, subject to the condititions of this Treaty any person who being accused or convicted of an extradition offence as decribed in Article 3, committed within the territory of the one State, is found in the territory of the other State, whether or not such offence was committed before or after the coming into force of this Treaty.

2. For the purposes of this Treaty, the territory of a contracting State includes all the land, airspace and waters within its jurisdiction.

3. There is no duty to extradite a person where the request for extradition is made for the purpose of discriminating against that person on account of his race, religion, colour or ethnic origin.

4. There is no duty to extradite a person who has been convincted and sentenced in respect of an extradition offence, if the sentence imposed or remaining to be served is imprisonment for 6 months or less.

Article 2 : Extraterritorial offences

Extradition shall also be granted in respect of an extradition offence as described in Article 3, committed outside the territory but within the jurisdiction as asserted by the requesting State if the requested State would, in corresponding circumstances, have jurisdiction over such offence.

Article 3 : Extradition offences

1. An extradition offence is committed when the conduct of the person whose extradition is sought constitutes an offence punishable by the laws of both contracting States by a term of imprisonment for a period of more than one year.

2. When extradition is ordered in respect of an extradition offence, it may also be ordered in respect of any other offence related to the commission of the extradition offence if it is specified in the request for extradition and meets all requirements for extradition except the term of imprisonment referred to in paragraph 1.

3. Extradition shall be ordered for an extradition offence notwithstanding that it may be an offence relating to taxation or revenue or is one of a purely fiscal character.

Article 4 : Extradition and Prosecution.

1. The request for extradition may be refused by the requested State if the person whose extradition is sought may be tried for the extradition offence in one of its own courts.

2. In deciding whether or not to refuse a request for extradition for the reason set out in paragraph 1, the requested State shall consider, which contracting State has felt or will feel the effects or consequences of the offence more gravely or immediately.

3. Where the requested State refuses a request for extradition for the reason set out in paragraph 1, it shall submit the case to its competent authority so that prosecution may be considered. In such case, the requesting State shall ,upon request, provide all available assistance that may be required by such competent authority in respect of the prosecution

4. Where extradition is granted under this Treaty, the requesting State shall ensure that the person extradited is brought to trial within 6 months of the extradition.

5. Where trial has not commenced within 6 months, the requesting State shall bring the person extradited before its appropriate court s for bail to be considered pending trial and to set a trial date for the charges for which extradition was granted.

Article 5 : Exceptions to Extradition.

1. Extradition may be refused if :—

(a) the offence in respect of which it is requested is considered by the requested State to be a political offence or an offence of a political character;

(b) it appears to the requested State that the request was not made in good faith or in the interests of justice or was made for political reasons or that it would otherwise be unjust having regard to all the circumstances including the trivial nature of the offence.

2. Extradition shall be refused if :—

(a) the offence in respect of which it is requested is considered by the requested State to be a purely military Office;

(b) the person sought is being proceeded against or has been tried and acquitted or discharged or convicted and punished, by the requested State or by a third state for the offence in respect of which extradition is requested.

3. For the purposes of this Treaty conduct constituting the following offenes according to the law of the requested State shal not be regarded as political offences or offences of a political chraracter.

(a) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft, signed at The Hauge on December 16, 1970.

(b) an offence within the scope of the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, signed at Montreal on September 23, 1971.

(c) an offence within the scope of the Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons including Diplomatic agents, signed at New York on December 14, 1973.

(d) an offence within the scope of any convention to which both contracting states are party and which obligates the parties to prosecute or grant extradition;

(e) an offence related to terrorism;

(f) murder, manslaughter, assault causing bodily harm, kidnapping, hostage-taking, offence involving serious damage to property or disruption of public facilities and offences relating to firearms, weapons, explosives, or dangerous substances;

(g) an attempt or conspiracy to commit an offence described in subparagraphs (a) through (f) or counselling the commission of such an offence or participation as an accomplice in the offences so described.

Article 6 : Capital Punishment

Extradition may be refused when the offence for which extradition is requested is punishable by death under the laws of the requesting State and the laws of the requested State do not provide such punishment for the conduct constituting the offence, unless the requesting State gives such assurances as the requested State considers sufficient that the death penalty shall if imposed, not be executed.

Article 7 : Postponement of Surrender

When the person sought is being proceeded against or is serving a sentence in the requested State for an offence other than that for which extradition is requested, the requested State may surrender the person sought or postpone his surrender until the conclusion of the proceedings or the service of any sentence that may have been imposed.

Article 8 : Extradition Procedures

The request for extradition shall be made through diplomatic channels and shall be supported by the following :

(a) information concerning the identity, description, and location of the person sought;

(b) a statement of the facts of the case, and

(c) a statement of the laws of the requesting State describing the offence and the punishment therefor.

2. Where the request for extradition is for a person accused of an extradition offence it shall also be supported by:

(a) a copy of the warrant of arrest, and

(b) such evidence as, according to the laws of the requested State, would justify his arrest and committal for trial if the offence had been committed within its jurisdiction including evidence showing that the person sought is the person to whom the warrant of arrest refers.

3. Where the request for extradition is for a person convicted of an extradition offence it shall be supported by :

(a) a copy of the certificate of conviction or a copy of the judgement or order of conviction ; and

(b) evidence that the person sought is the person to whom the conviction refers;

and, if such person was sentenced, by :

(c) a copy of the judgement or order of sentence; and

(d) a statement showing what portion of the sentence remains to be served.

Article 9 : Extradition Evidence

1. The evidence submitted in support of a request for extradition shall be admitted in extradition proceedings in the requested state if it purports to be under the stamp or seal of a department, ministry or minister of tde requesting State, without proof of the official character of the stamp or seal.

2. The evidence referred to in paragraph 1 may include originals or copies of statements, depositions or other evidence purporting to have been taken on oath or affirmation whether taken for the purpose of supporting the request for extradition or for some other purpose.

3. The evidence described in paragraph 2 shall be admissible in extradition proceedings in the requested State, whether sworn or affirmed to in the requesting State or in some third state.

Article 10 : Additional Evidence

1. If the requested State considers the evidence submited in support of the request for extradition to be insufficient, it may request the submission of additional evidence and may set a time limit for the submission of that evidence., but upon the request of the requesting State may grant a reasonable extension of the time limit set.

2. If the additional evidence is considered insufficient' or is not received within the time specified by the requested State the person sought may be discharged or set at liberty.

3. Notwithstanding paragraph 2, extradition proceedings may be recommenced for the same or other extradition offence, upon a new request for extradition being made by the requesting State, and on the basis of the evidence already submitted and any other evidence.

Article 11 : Provisional Arrest

1. In cases of urgency a contracting State may request the provisional arrest of the person sought.

2. The request for provisional arrest may be made through diplomatic channels, directly between the Department of Justic of Canada and the Ministry of Home Affairs of India, through the International Criminal Police Organisation (INTERPOL), or by any other means acceptable to the requested State.

3. The request for provisional arrrest shall be supported by:

(a) Information concerning the identity, description and location of the person sought,

(b) a brief statement of the facts of the case,

(c) an indication that the requesting State will request the extradition of the person sought,

(d) a statement of the existence of a warrant for the arrest or order of conviction against the person sought, and

(e) such further information, if any, to justify the issuance of a warrant of arrest had the extradition offence been committed or the person sought been convicted, in or within the jurisdiction of the requested State.

4. On receipt of a request for provisional arrest the requested State shall take appropriate steps to arrest the person sought' and to promptly notify the requesting State of the results of its efforts.

5. The person sought shall be discharged and set at liberty if the requested State has not received a request for extradition within 30 days and the supporting documents and evidence within 90 days from the date of arrest.

6. Notwithstanding paragraph 5' the person sought may be re-arrested for the same or other extradition offence if request for extradition is subsequently received by the requested State.

Article 12 : Surrender

1. The requested State shall notify the requesting State as soon as possible of its decision with regard to the request for extradition.

2. If extradition is granted' the requested State shall make the person sought available to the persons authorized by the requesting State to receive him at the time and place agreed to by both contracting States.

3. Where the person sought has not been conveyed out of the requested State within two months after the final descision on extradition has been made' he shall be discharged from custody and the requested State may thereafter refuse to extradite him for the same offence.

Article 13 : Surrender of Property.

1. Upon the arrest of the person sought the requested State shall, to the extent permitted by its laws, search for and seize any property used in or obtained by the commission of the extradition offence or any proceeds thereof, or any property that will afford evidence of the commission of that offence.

2. If extradition is ordered, the requested State upon the surrender of the person sought, to the extent permitted by its laws and subject to any conditions relating to the rights of third parties., shall, subject to the provisions of paragraph 3 below, also surrender the property or any proceeds thereof, without any specific request from the requesting State. Such property or proceeds shall be surrendered even if the person sought cannot be extradited due to his death, escape or disappearance.

3. The requested State may refuse to surrender any property or any proceeds thereof unless the requesting State provides satisfactory assurances that they will, if required' be returned to the requested State as soon as possible and all conditions relating to the rights of third parties observed.

Articles 14 : Rule of Speciality

1. A person extradited under this Treaty shall not be detained, tried or punished in the requesting State for an offence committed prior to his surrender other than that for which he was extradited' unless :

(a) he has left the requesting State and voluntarily returned thereto

or

(b) he has not left the requesting State within 60 days after being free to do so.

2. A person extradited under this Treaty shall not be extradited by the requesting State to a third State for an offence committed prior to his extradition unless the requested State consents or the requirements of sub-paragraphs (a) or (b) of paragraph 1 above have been met.

3. Paragraphs 1 and 2 do not aply to an offence the commission of which is included in the commission of the offence for which the person sought was surrendered and the proof of which is based on the evidence that was submitted in support of the request for extradition.

Article 15 : Mutual Legal Assistance in Extradtion

The requested State agrees upon request, to the extent permitted by its law, to gather evidence within its own territory for the requesting State relating to the offence for which extradition has been requested.

Article 16 : Waiver of Extradition.

1. A person whose extradition is sought and who has been arrested pursuant to this Treaty may consent in writing to return to the requesting State and to be held in custody pending such return without formal extradition. When such consent has been given the requesting State shall without delay, take all such steps as are necessary to receive the person sought.

2. The consent referred to in paragraph 1 shall be deemed not to have been given unless the person sought was personally advised by a judge or competent magistrate of the right and protections conferred under this Treaty, and that such consent constitutes a waiver of those rights and protections, including the protection conferred under Article 14.

Article 17 : Conflicting Requests

If extradition of the same person whether for the same offence of for different offences is requested by the contracting State and a third State with which the requested State has an extradition arrangement, the requested State shall determine to which State the person shall be extradited, and shall not be obliged to give preference to the contracting State.

Article 18 : Translation of Documents

The request for extradition and the evidence submitted in support thereof shall be provided in or translated into one of the official languages of the requested State and where translated the accuracy of such translation shall be verified by the evidence of the translator. The trnaslator's evidence shall also be in one of the official languages of the requested State and shall comply with Article 9 of this Treaty.

Article 19 : Expenses

1. In any proceeding arising out of a request for extradition, the requested State shall make all necessary arrangements for and bear the cost of representation for the requesting State by its own legal offices or otherwise,

2. The requesting State shall bear the expenses of transporting any person extradited or otherwise returned pursuant to this Treaty, including any internal transportation within the requested State and any expenses incurred in respect of transit.

3. All other expenses incurred in the requested State in connection with extradition prusuant to this Treaty shall unless otherwise agreed to, be borne by the requested State.

4. No pecuniary claim' arising out of the arrest, detention, examination and surrender of any person pursuant to the provisions of this Treaty shall be made by the requested State against the requesting. State.

Article 20 : Applicable Law

Except where otherwise provided by this Treaty, the procedures with regard to arrest and extradition shall be governed by the laws of the requested State.

Article 21 : Ratification

1. This Treaty is subject to ratification and the instruments of ratification shall be exchanged at New Delhi as soon as possible. It shall come into force upon the exchange of instrument of ratification.

2. Either of the contracting States may terminate this Treaty by giving six months notice thereof through diplomatic channels. Upon the expiry of such notice, the Treaty shall cease to have any force or effect.

In witness where of the undersigned, being duly authorised thereto by their respective Governments, have signed this Treaty.

Done in duplicate in the English, Hindi and French languages, each language version being equally authentic at New Delhi, this Sixth day of February, 1987.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Extraditon Act, 1962 (34 of 1962), the Central Government hereby directs that the provisons of the said Act, other than Chapter III, shall apply to Canada with effect from the date of this notification.

Notification issued under G.S.R. No. 463(E) bearing serial No. 237 on 8-5-87 is cancelled for technical reatones.

[No. L/413/2/87]
S.N. SINHA, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987